संख्या-674/15-7-16(111)/2000

NOC   Dt. 10/04/2000

प्रेषक,

श्री राघवेन्द्र मिश्र,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

S/p Secretary Lucknow

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र-2 समुदाय केन्द्र,
प्रीत विहार, नई दिल्ली।

शिक्षा (7) अनुभाग   लखनऊ दिनांक 10 अप्रैल, 2000

विषय:- क्राइस्ट हाल पब्लिक स्कूल मॉडल टाउन रामपुर बरेली रोड, रामपुर को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि क्राइस्ट हाल पब्लिक स्कूल मॉडल टाउन रामपुर बरेली रोड, रामपुर को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है:-

(1) विद्यालय की प्रबन्धकारिणी पंजीकृत सोसायटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।

(2) विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित [illegible] होगा।

(3) विद्यालय में कम से कम दस प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिये सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिये निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।

(4) संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से अथवा बेसिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है या विद्यालय को सम्बद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कौंसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन्स नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उन परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की [illegible] तिथि से परिषद से मान्यता तथा राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे।

(5) संस्था शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।

(6) कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनाई जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।

(7) राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी।

3506

....2/-

(11) विद्यालय के रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखे जायेंगे।

(12) उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन, संशोधन या परिवर्धन नहीं किया जायेगा।

2- प्रतिबन्ध यह भी होगा कि संस्था द्वारा यह बात भी सुनिश्चित किया जाय कि:-

(1) विद्यालय की प्रबन्ध समिति में राज्य सरकार का शासकीय अधिकारी रखा जाय।
(2) विद्यालय में 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिये आरक्षित रखे जायेंगे।
(3) शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के अनुरूप वेतनमान तथा अन्य भत्ते दिये जायेंगे।

3- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिये अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय,
[signature]
[illegible]
विशेष सचिव

संख्या- 111/15-7-2000 तद्दिनांक
- - - - - - - - - - - - - - - - - -

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2- मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, मुरादाबाद।
3- जिला विद्यालय निरीक्षक, रामपुर।
4- निदेशक, अखिल भारतीय विद्यालय, [illegible], लखनऊ।
5- प्रबन्धक [illegible] रोड, रामपुर।

आज्ञा से,
[signature]
O/C
([illegible])
विशेष सचिव।